राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 431 / 2020

प्रार्थीगणः— 1. राणीदान भाटिया पुत्र श्री मांगीलाल
2. रमेशचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल
3. उमेशचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल
4. भंवरलाल पुत्र श्री मांगीलाल
जातियान मेघवाल, निवासी ओसियां
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः— तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांकः– 30/12/2020

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1378 रक़बा 27 बीघा 08 बिस्वा ग्राम रेलागढ व खसरा नम्बर 1451 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा ग्राम भवानीसिंहनगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राणाराम, प्रार्थी संख्या 2 का नाम रामेश्वर, प्रार्थी संख्या 3 का नाम ओमाराम व प्रार्थीगण के पिता का नाम मेगाराम दर्ज है। लेकिन प्रार्थीगण के वास्तविक नाम क्रमशः राणीदान भाटिया, रमेशचन्द्र, उमेशचन्द्र व प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम मांगीलाल है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश राणाराम, रामेश्वर, ओमाराम व प्रार्थीगण के पिता का नाम मेगाराम दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थीगण के नाम क्रमशः राणीदान भाटिया, रमेशचन्द्र, उमेशचन्द्र व प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगीलाल दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है यह है कि राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रेकर्ड व अन्य

तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

तहसीलदार, ओसियां

Scanned with CamScanner

दस्तावेजों में प्रार्थीगण के व पिता के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने केसीसी लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1378 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा ग्राम रेलागढ व खसरा नम्बर 1451 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा ग्राम भवानीसिंहनगर तहसील ओसियां जिला जोधपुर में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राणाराम के स्थान पर राणीदान भाटिया, प्रार्थी संख्या 2 का नाम रामेश्वर के स्थान पर रमेशचन्द्र, प्रार्थी संख्या 3 का नाम ओमाराम के स्थान पर उमेशचन्द्र व प्रार्थीगण के पिता का नाम मेगाराम के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण के नाम राणाराम, रामेश्वर, ओमाराम पि. मेगाराम के स्थान पर राणीदान, रमेशचन्द्र, उमेशचन्द्र पि. मांगीलाल व भंवरलाल के पिता का नाम मेगाराम के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किये जाने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के वास्तविक नाम राणीदान, रमेशचन्द्र, उमेशचन्द्र तथा पिता का नाम मांगीलाल है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1378 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा ग्राम रेलागढ व खसरा नम्बर 1451 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा ग्राम भवानीसिंहनगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम राणाराम, रामेश्वर, ओमाराम पि. मेगाराम के स्थान पर राणीदान, रमेशचन्द्र, उमेशचन्द्र पि. मांगीलाल व भंवरलाल के पिता का नाम मेगाराम के स्थान पर मांगीलाल दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 30/12/20 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner